

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 690/769/स्था./चार/12

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

विषय:-राज्य के स्वयं आहरण एवं संवितरण करने वाले अधिकारियों के वेतन भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से करने के संबंध में।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं आहरण एवं संवितरण करने वाले अधिकारियों का वेतन कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 240 के अन्तर्गत सी.जी.टी.सी. प्रपत्र-21 में आहरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत इन अधिकारियों द्वारा प्रपत्र-21 में वेतन देयक तैयार कर इसे संबंधित कोषालय में प्रस्तुत किया जाता है तथा कोषालय अधिकारी द्वारा स्वयं के बी.टी.आर. में प्रविष्टि कर देयक का निराकरण कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी स्वयं आहरण एवं संवितरण करने वाले अधिकारियों को उनके देय स्वत्वों का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावे। इस माध्यम से भुगतान करने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

(i) सर्वप्रथम सभी स्वयं आहरण एवं संवितरण करने वाले अधिकारियों से एम्पलाई डाटाबेस के समान निर्धारित किये गये प्रपत्र (A) में जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जाकर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) यह जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् इसकी डाटा प्रविष्टि संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन स्थित सर्वर में की जायेगी।

(iii) डाटा प्रविष्टि होने के पश्चात् एक माह के अन्दर सी.जी.टी.सी. प्रपत्र-21 हेतु आवश्यक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का निर्माण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया जाकर उनके सर्वर के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा cg.nic.in/ePayroll के द्वारा login कर उक्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डकॉपी निकाल कर कोषालय



Principal
Govt V.Y.T.P.G. Autonomous College
Burg (C.G.)

को हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत की जावेगी। कोषालय अधिकारी द्वारा ऑनलाईन डाटा गेट कर, प्रोसेस कर तदानुसार देयक का निराकरण किया जायेगा तथा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को देयक में दर्शित बैंक खाता नंबर के आधार पर ई-भुगतान किया जायेगा।

3. उपरोक्त व्यवस्था 01 जुलाई, 2012 से लागू की जायेगी।

संलग्न:-प्रपत्र-A



(डी.एस. मिश्र)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग



Principal

Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(Handwritten Signature)
(सी.जे. खत्री)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

(Handwritten Signature)
Principal
Govt. V.T.P.G. Autonomous College
Burg (C.G.)

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम

2. पिता / पति का नाम

3. वर्ग (✓ करें)

4. लिंग (✓ करें)

5. जन्म तिथि

शब्दों में

6. मूल निवासी गृह जिला
राज्य

7. राज्य शासन के अन्तर्गत नियुक्ति का विवरण:

अ. प्रथम नियुक्ति का विवरण

I पदनाम

II पद की श्रेणी (✓ करें)

III पद का प्रकार (✓ करें)

IV पदग्रहण तिथि

V वेतनमान

VI प्रशासकीय विभाग का नाम

VII वर्तमान कार्यालय का नाम एवं पता

VIII (1) आहरण अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालयीन पता

(2) डी.डी.ओ. कोड

8. (1) बैंक का नाम जिसमें वेतन जमा किया जाता है -

(2) बैंक खाता क्रमांक -

(3) बैंक का आईएफएससी कोड

9. कोषालय से प्राप्त किया जाने वाले वेतन का विवरण -

(1) मूल वेतन

(2) विशेष/व्यक्तिगत वेतन

(3) अव्यवसायिक भत्ता

(4) मंहगाई भत्ता

(5) मंहगाई वेतन

(6) कुल वेतन

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी अनुसार सत्य है।

श्री / सुश्री के द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण का मिलान सेवापुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों से किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर विवरण सही है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का नाम एवं पता

.....

दिनांक

Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 946 / वित्त / ब-4 / चार / 2012

रायपुर, दिनांक : 05 / 06 / 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :- शासकीय भुगतान के लिए ई-पेमेंट प्रणाली लागू करने बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 68 / वित्त / ब-4 / चार / 2012,
दिनांक 25 अप्रैल, 2012

कृपया वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई, 2012 से रुपए 10,000 या इससे अधिक के समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए प्रचलित कोषालयीन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए प्रशासकीय विभागों के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदनाम से चालू बैंक खाता (current bank account) होना आवश्यक है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में निम्नानुसार सुधार होगा :-

1.1 प्रचलित प्रक्रिया अंतर्गत शासकीय सेवकों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषालय द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 1 जुलाई, 2012 से अन्य व्यक्ति/संस्थाओं के देयकों (रुपए 10,000 से अधिक) के भुगतान के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जानी है। शेष देयकों के लिए वर्तमान प्रक्रिया में कोषालय द्वारा देयकों को पारित करने के उपरान्त आहरण संवितरण अधिकारी के नाम से चेक जारी किए जाते हैं। उन अधिकारियों की ओर से संदेश वाहकों द्वारा कोषालयों से भौतिक रूप से चेक प्राप्त करना होता है, जिसे बैंक में जमा किया जाता है एवं भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था के नाम से बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट बनाए जाते हैं।

1.2 संशोधित व्यवस्था में देयक पारित होने के उपरान्त कोषालय द्वारा भुगतान बाबत राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के बैंक खाते में ऑन-लाईन ट्रांसफर कर दी जाएगी। बैंक खाता में जमा राशि के व्यय हेतु भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था के नाम से चेक जारी किया जाएगा तथा



Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

कार्यालय व्यय हेतु नकद राशि की आवश्यकता होने पर सेल्फ चेक के माध्यम से राशि आहरित की जाएगी। इसके फलस्वरूप कोषालय से चेक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे समय एवं मेनपॉवर की बचत होगी तथा त्वरित भुगतान एवं cashless transaction सुनिश्चित होगा।

2. अतः उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदनाम से निम्न शर्तों के अधीन चालू बैंक खाता (current bank account) खोलने की अनुमति दी जाती है :-

2.1 बैंक खाते में कोषालय से अंतरित धनराशि के अलावा अन्य कोई राशि जमा नहीं की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष के अंत में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाते में कोई भी राशि शेष न रहे।

2.2 यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदनाम से किसी विशिष्ट योजना के संचालन हेतु पूर्व से वित्त विभाग की अनुमति से कोई बैंक खाता संधारित हो, तो वह इस खाते से अलग रहेगा।

2.3 यह चालू खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोला जा सकता है। इन बैंकों की शाखा नहीं होने की स्थिति में किसी भी Scheduled Bank में खाता खोला जा सकता है।

2.4 आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के अंत में बैंक खाते का पुनर्मिलान (reconciliation) करेंगे एवं इसकी सूचना नियंत्रण अधिकारी को देंगे।

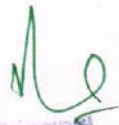
3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-पेमेंट की प्रस्तावित व्यवस्था निर्माण विभागों (PWD/WRD/PHED/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) तथा वन विभाग की वर्तमान में प्रचलित लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत ही होगी एवं इसके लिए कोषालय के माध्यम से आहरण आवश्यक नहीं होगा।

4. कृपया उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

यह व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई, 2012 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)


(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड. शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर / बिलासपुर एवं जगदलपुर, छ.ग.
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



प्रमुख सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

Principal

Govt V.Y.T.P.G. Autonomous College

मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करें

Online Systems

- e-Bill
- e-Budget
- e-Challan
- Karmik Sampada (e-Karamchari)
- e-Payroll
- Pension
- Contributory Pension Scheme(CPS)
- e-Refund
- Employee Corner
- Ministers-Payroll
- Fund Drawal System
- Vendor Payment System
- Treasury Login
- Online GPF Final
- BCO Reconciliation with AG
- e-Loksewa

Other Links

- CG Tax Portal
- National Portal Of India
- Finance Department
- CG State Government
- Jeevan Pramaan
- Online Grievance Redress System of AG Office

Corona Virus
COVID-19

संकर के समय सहायता कीजिए
मुख्यमंत्री सहायता कोष

Visit Us : <http://karm.sgg.gov.in/>

पर पर रहिए सुरक्षित रहिए

जामरक रहे जागरक करें

Scan & Pay Using Any UPI App to
CM RELIEF FUND

A/C No: 30190873179
IFSC CODE : SBIN004286

Chhattisgarh Help Line Number- 104

अधिक जानकारी के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें

Budget Dashboard

Employee Dashboard

ExpenditureDashboard

Receipt Dashboard

Notices:

- Document Verification PSC 2019
- Tender date extension notice for e-tender no 2415 date 08/09/2021
- Corrigendum for e-tender No. 2415 date 08/09/2021.
- Pre bid meeting for e-tender No. 2415 date 08/09/2021 will be held on 3:00pm on 01/10/2021. Please Click Here to attend the pre bid meeting (Virtual Metting)
- e-Tender document for AMC of Computer Hardware and Peripherals
- Final Graduation list of Assistant Grade-I as on 01/04/2021
- SAS Final Graduation 2021

Login



Admin, DDO, Treasury,
Vendor, AG, RBI

User ID:

Password:

EnterText:

CDL 6 E

Login

DashBoard Link

Dashboard

Online Reports

- BCO/DDO Master
- Bill Status
- e-Payment Report
- AG Interface
- GPF Unposted Credit/Debit
- PFMS Report

Today's Date: 24/11/2021 13:45:16 PM

VISITOR NUMBER : 20947388 (since 10/09/2015)

Designed and Developed By-NIC, Chhattisgarh State Centre, Raipur



Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

e-Payroll

Online Salary Generation System
Govt. of Chhattisgarh

Useful Links:

[eKosh Online](#)

[e Karmachari](#)

[DDO Wise Employee Details...](#)

[Treasury Login](#)

[Employee Corner](#) **NEW**

[Vendor Payment System](#) **NEW**

[Self DDO-ePayroll](#) **NEW**

[DDO wise ePayment Report](#) **NEW**

Help Files:

[Use ePayroll](#)

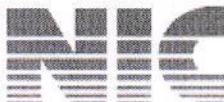
[Internet Explorer Settings](#)

[User Manual-Vendor Payment Sys.](#) **NEW**

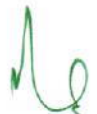
Software Downloads

[DevLis010 Font](#)

[KrutiDev Font](#)

Log In...	
DDO Code	
Payroll Type	Select ▼
Financial Year	▼
Password	
☐ Admin ☐ Operator	
Month & Year of Operation	Select ▼ ▼
Captcha	f7eb4 
Enter Captcha	Type The Text Given Above
Log In	
 एनआईसी National Informatics Centre	




Principal
Govt. V.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)



ऑनलाइन जीपीएफ फाइनल बिल प्रविष्टि हेतु क्लिक करें (<https://cgpension.nic.in/gpffinal/>)



प्रकार चुनें

--चुने--

यूजर कोड

पासवर्ड

4P G7 F

लॉगिन

Forgot password



Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)



आभार (आपकी सेवाओं का)

CG Online Pension Management System

संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़

Directorate of Treasury Accounts and Pensions, Chhattisgarh



Download Unicode Tool

DOWNLOAD

(GPF_PDF/GoogleInputToolsHindi.zip)

प्रकार चुनें

--चुने--

यूजर कोड

पासवर्ड




Principal
Govt. V.Y.T.R.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

[Clear](#)

eBilling System
Directorate of Treasury Accounts And
Pensions, Chhattisgarh

Please Use User ID & Password same as user

DDOCODE

Password

Financial Year Select



Enter Captcha Type The Text Given Below

e0523



Log In




Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)



कार्मिक सम्पदा

[Home](#)[Downloaded Payroll](#)[Downloaded Unkcode Pay](#)[Report List](#)

About Karmpda Sampada

महत्वपूर्ण सूचना

कार्मिक सम्पदा में हिंदी टाइपिंग के लिए केवल यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जाना है। यूनिकोड फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड यूनिकोड टूल मेनू में क्लिक करें।

कार्मिक सम्पदा में नवीन कर्मचारी कोड जनरेट करने हेतु समस्त विवरण भरने एवं दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही कर्मचारी कोड का उपयोग e-Payroll में किया जा सकेगा। पूर्ण विवरण भरे जाने के उपरांत ही PRAN एवं एम्प्लोयी कोड लिंक किया जा सकेगा।

**Login**

User Type:

SELECT

User Id:

Password:

Enter-Captcha:

T4 6 G V



Login

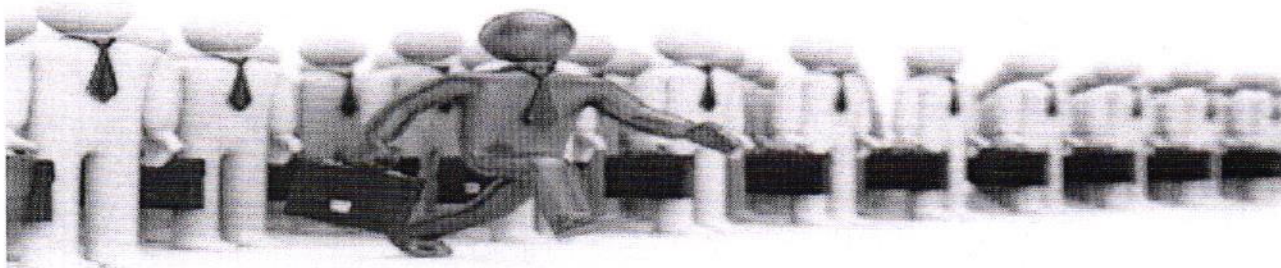
This site is best viewed in Internet Explorer 7 (and above browser) and Best fit in 1024x 768 pixels resolution

Designed And Developed By: Chh. Jyoti Singh State Centre




Principal
Govt. K.Y.T.P.G. Autonomous College
Burg (C.G.)

Directorate Of Treasury Accounts and Pensions



*In Case of Forget Your Employee Corner Password पासवर्ड पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ क्लिक करें-[Click Here](#)

Employee Login



ENTER USERID



Enter Password



YE 2 A F

ENTER CAPTCHA

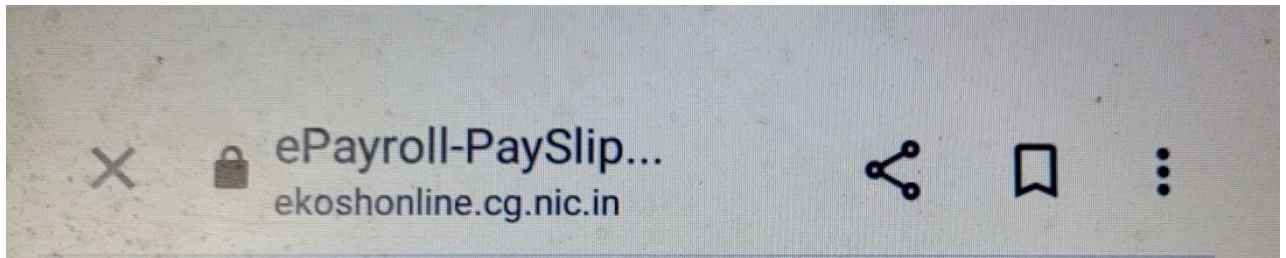


Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College
Durg (C.G.)

Developed and Hosted by NIC/Ministry of State Centre



Reviewed in Firefox 3 and above, Mozilla Firefox 3.1 and above, Google Chrome 40 and above and Safari 7 and above with resolution 1024 x 768. All efforts have been made to make the information as accurate as possible. Department of Finance, Department of Treasury Accounts & Pension on NIC will not be responsible for any loss or damage caused by reliance on the information available on this website.



11/27/24, 5:04 PM

Employee Benefits:Salary Slip

Employee Code:10380060146

Govt. of Chhattisgarh Higher Education Department
Govt.V.Y.T.PG. Autonomous College, Durg (C.G.) Distt-Durg (C.G.)

Bill Unit:6

P A Y S L I P

DDO Code/Emp.ID: 1038001 / 97
Name: KUSUMANJALI DESHMUKH
Designation: Assistant Prof. of Physic

Month: 06/2024
BankA/CNo.: 20024628723
Emp.Code: 10380060146

BillGross/NetAmount: 2868062/2258746
PRAN: 110122968235
BillNo. & Dt: 61,6/24/2024

-----D r a w a l s-----			-----D e d u c t i o n s / R e c o v e r i e s-----		
Basic:57700			GPF/DPF/Tier1:6924		
			GIS:360		
			Other.All.:75		
			IncomeTax:6000		
GrossSal.:89510			TotalDed.:13284		
			NetSal.:76226		

This is an electronically generated document and does not need any signatures

Cut Here-----Cut Here-----Cut Here

